अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं0 126 /2018-19

बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित।

दिनाक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापाक–2074/रा0 दिनाक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनाक 03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जाच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा– चैथा मौजा न0– 06 खाता न0 196 83 प्लॉट न0 1362 1365 रकबा 3 कट्ठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पंजी–।। के जिल्द सख्या 15 के पृष्ठ सख्या 3305 पर जमाबदी रैयत विरेन्द्र कुमार सिंह पि० आर०पी० सिंह के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनाक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

2/10/17 अभिलेख उपस्थापित।अंचल निरीक्षक से मंतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा चीटाही मौजा न० 06 खाता 196, 83 प्लाट न० 1363, 1365 रकवा 3-20 डिसमिल भूमि से संवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० 405 (11) 2004-05 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमावंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमावंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एंव संशोधत।

20.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned by CamScanner